न्यामूर्ति आलोक सिंह के समक्ष
विजय पाल-याचिकाकर्ता
बनाम
वित्तीय आयुक्त, हरियाणा राज्य
और अन्य,-उत्तरदाता
सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2009 का 1204

1 अगस्त, 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 22/227-वित्तीय आयुक्त द्वारा पुन: नरीक्षण याचिका को इस आधार पर अनुमति दी गई कि सनद तकसीम को अंतिम रूप देने के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा कुछ भी नहीं किया जाना बाकी है- कलेक्टर के आदेश को खारिज कर दिया गया और सहायक कलेक्टर को मामला भेज दिया गया-याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके पक्ष में हस्तांतरण किया गया शेयर और विक्रेता द्वारा विभाजन की सहमति के अनुसार न केवल याचिकाकर्ताओं के साथ बल्कि अदालत के साथ भी धोखाधड़ी होगी।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता और न्यायालय पर धोखाधड़ी करके प्राप्त कोई भी आदेश या निर्णय अमान्य होगा और इसे उच्च अधिकारियों के समक्ष और बाद की कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है और मुकदमे के किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। एस. पी. चंगलवराय नायडू (मृत) एल. आर. द्वारा बनाम जगन्नाथ (मृत) एल. आर. द्वारा , (1194) 1 एस. सी. सी. 1 और अश्विनी कुमार अग्रवाल बनाम श्रीमती कलावती, 2002 (2) पी. एल. आर. 236 पर भरोसा किया गया।

(पैरा 6,7,8)

आगे अभिनिर्धारित किया कि अमरखान और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 2009 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 741 को ध्यान में रखते हुए सनद तकसीम को अंतिम रूप देने के बाद वित्तीय आयुक्त और यह न्यायालय यह पता लगाने के

लिए याचिका पर विचार कर सकता है कि सनद तकसीम को सही तरीके से तैयार किया गया था और अंतिम रूप दिया गया था या नहीं।

(पैरा 9)

अभिनिर्धारित किया गया-याचिका स्वीकृति पक्षकारों को सहायक कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया जो याचिकाकर्ता को सुनने के बाद और उसे लिखित बयान और अन्य सामग्री दाखिल करने का अवसर देने के बाद नए सिरे से विभाजन की कार्यवाही छह महीने के भीतर समाप्त करने के लिए आगे बढ़ें।

(पैरा 11)

अधिवक्ता अरुण सिंघल याचिकाकर्ता की ओर से।

गौरव धीर, डीएजी, हरियाणा।

एस. पी. चाहर, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं संख्या 5 और 6 के लिए।

न्यामूर्ति आलोक सिंह (मौखिक)

(1) विद्वान वित्तीय आयुक्त ने दिनांक 29.5.2008 के आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी है और कलेक्टर द्वारा मामले को सहायक कलेक्टर को भेजने के आदेश को रद्द कर दिया है।विद्वान वित्तीय आयुक्त ने पुनरीक्षण याचिका को इस आधार पर अनुमति दी है कि सनद तकसीम की नोटिंग को अंतिम रूप देने के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है, इसलिए कलेक्टर द्वारा रिमांड उचित नहीं है।

(2) अभिलेख से पता चलता है कि राम प्रसाद ने विभाजन की कार्यवाही विचाराधीनता रहने के बारे में खुलासा किए बिना विभाजन की कार्यवाही विचाराधीनता के दौरान याचिकाकर्ता-विजय पाल को अपना हिस्सा बेच दिया था।राम प्रसाद ने राजस्व अधिकारियों को यह भी नहीं बताया कि उन्होंने वर्तमान याचिकाकर्ता-विजय पाल को अपना हिस्सा दिया है; इसके बाद राम प्रसाद ने

विभाजन के लिए अपनी सहमति दे दी है; विजय पाल को सुने बिना विभाजन की कार्यवाही पूरी कर ली गई; इसके बाद विजय पाल ने कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया। विद्वान कलेक्टर ने दिनांक 24.8.2004 के आदेश के माध्यम से कहा है कि राम प्रसाद ने पहले ही विजय पाल के पक्ष में 13.3.2001 पर अपने हिस्से की कृषि भूमि बेच दी थी; उन्हें इस तथ्य को अदालत के संज्ञान में लाना चाहिए था कि उन्होंने विभाजन के तहत अपने हिस्से की भूमि बेच दी थी; विक्रेता राम प्रसाद ने विजय पाल के पक्ष में संपत्ति बेचने के बाद विभाजन के लिए भूमि के नक्शा 'बे' की तैयारी के लिए गलत तरीके से अपनी कोई आपत्ति नहीं दी थी।

(3) पीड़ित महसूस करते हुए, प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा एक अपील रोहतक डिवीजन के आयुक्त के समक्ष दायर की गई थी, जिसे विद्वान कलेक्टर द्वारा पारित रिमांड के आदेश की पुष्टि करते हुए दिनांक 28.09.2006 के आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया था।कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करते हुए, विद्वान संभागीय आयुक्त ने कहा है कि न्याय की मांग है कि विजय पाल, जिन्होंने इस बीच कुल भूमि का आधा हिस्सा खरीदा था, स्वाभाविक रूप से सुनवाई के योग्य हैं ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सकें।

(4) पीड़ित महसूस करते हुए, प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने विद्वान वित्तीय आयुक्त के समक्ष पुनः निरीक्षण दायर किया, जिसे वित्तीय आयुक्त द्वारा रिमांड आदेश को दरकिनार करते हुए दिनांक 29.05.2008 के विवादित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

(5) निर्विवाद रूप से, राम प्रसाद ने वर्तमान याचिकाकर्ता-विजय पाल के पक्ष में भूमि में अपना कुल आधा हिस्सा 13.3.2001 पर बेच दिया था और 13.3.2001 के बाद विवादग्रस्त संपत्ति में राम प्रसाद का कोई हिस्सा या हित नहीं था।वर्तमान याचिकाकर्ता-विजय पाल के पक्ष में अपने हिस्से को हस्तांतरण करने के बाद विभाजन के लिए राम प्रसाद की सहमति विजय पाल-याचिकाकर्ता के साथ-साथ

उसकी सहमति के आधार पर विभाजन को अंतिम रूप देने वाले न्यायालय के साथ भी धोखाधड़ी होगी।

(6) इस न्यायालय की राय में, यदि याचिकाकर्ता के साथ-साथ न्यायालय में धोखाधड़ी करके कोई आदेश या निर्णय प्राप्त किया जाता है, तो यह अमान्य होगा और इसे उच्च अधिकारियों के साथ-साथ बाद की कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।

(7) एस. पी. चंगलवराय नायडू (मृत) एल. आर. द्वारा बनाम जगन्नाथ (मृत) एल. आर. द्वारा (1)**के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय** में रिपोर्ट किया गया है निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

"लगभग तीन शताब्दियों पहले इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक ने कहा था कि धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों, धार्मिक या लौकिक से बचती है।यह कानून का तय प्रस्ताव है कि अदालत में धोखाधड़ी करके प्राप्त कोई निर्णय या डिक्री कानून की नजर में अमान्य और गैर-कानूनी है।प्रथम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के निर्णय/डिक्री को प्रत्येक न्यायालय, चाहे वह उच्चतर हो या निम्न, द्वारा अमान्य माना जाना चाहिए।इसे किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है, यहां तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी।"

(8) **इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश** ने **अश्वनी** कुमार अग्रवाल बनाम श्रीमती. कलावती (2) एस. पी. चंगलवराय नायडू (ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए बताया यह भी कहा गया है कि किसी भी न्यायालय से धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय या डिक्री को मुकदमे में किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है।

---

(1) 1994 (1) एससीसी 1 (2) 2002
(2) पीएलआर 236

(9) जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है कि राम प्रसाद को वर्तमान याचिकाकर्ता-विजय पाल के पक्ष में 13.3.2001 को अपने सारे हिस्से को हस्तांतरण करने के बाद विभाजन के लिए सहमति देने का कोई अधिकार नहीं था।उन्हें विभाजन की कार्यवाही की सुनवाई करते हुए अदालत के सामने खुलासा करना चाहिए था कि उसने पहले ही विजय पाल-उपस्थित याचिकाकर्ता के पक्ष में संपत्ति बेच दी थी।अपने पूरे हिस्से के हस्तांतरण के बारे में अदालत को नहीं बताकर और विभाजन के पक्ष में सहमति देकर, राम प्रसाद ने निश्चित रूप से गैर सरकारी प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की मिलीभगत से धोखाधड़ी की है।इसलिए, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान कलेक्टर मामले को रिमांड करते समय अपने अधिकार क्षेत्र में थे।इतना ही नहीं, इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने अमरखान और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (3) में अभिनिर्धारित किया गया है कि सनद तकसीम को अंतिम रूप देने के बाद, वित्तीय आयुक्त के साथ-साथ यह न्यायालय याचिकाकर्ता का यह पता लगाने के लिए सुन सकता है कि सनद तकसीम को सही तरीके से और अंतिम रूप दिया गया था या नहीं।विद्वान वित्त आयुक्त को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि राम प्रसाद ने अपने हिस्से को हस्तांतरण करने के बाद अदालत को वर्तमान याचिकाकर्ता-विजय पाल के पक्ष में हस्तांतरण के तथ्य का खुलासा नहीं किया और प्रतिवादी संख्या 5 और 6 की मिलीभगत से विभाजन के लिए सहमति दी है।विद्वान वित्तीय आयुक्त ने पुन: निरिक्षण की सुनवाई करते हुए राम प्रसाद द्वारा की गई धोखाधड़ी को ध्यान में रखने में विफल रहे ताकि गैर सरकारी प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को संपत्ति का विभाजन करने में सक्षम बनाया जा सके।

(10) इस न्यायालय की राय में, विद्वान वित्तीय आयुक्त ने विद्वान कलेक्टर द्वारा पारित रिमांड आदेश को दरकिनार करते हुए अधिकार क्षेत्र में त्रुटि की है।

(11) याचिका स्वीकृत है।विद्वान वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और विद्वान कलेक्टर द्वारा पारित 24.8.2004 के आदेश को बहाल कर दिया जाता है। पक्षो को 18.8.2011 को सहायक कलेक्टर,

प्रथम श्रेणी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।विद्वान सहायक कलेक्टर वर्तमान याचिकाकर्ता-विजय पाल को सुनने के बाद और उन्हें लिखित बयान और अन्य सामग्री दाखिल करने का अवसर देने के बाद कानून के अनुसार विभाजन की कार्यवाही के साथ नए सिरे से आगे बढ़ेंगे और छह महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही को समाप्त करेंगे।

---

(3) 2009 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 741

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)